"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, शनिवार, दिनांक 12 अप्रैल 2014— चैत्र 22, शक 1936

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

अधिसूचना

क्रमांक 3366/573/21-ब/छ. ग./2014. — सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 2 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट अभिव्यक्त शासकीय अभिभाषकों के संदर्भ में राज्य शासन श्री जुगल किशोर टिकमचंद गिल्डा, महाधिवक्ता, बिलासपुर को उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 नियम 6 तथा आदेश 27 नियम 4 में उल्लेखित किये गये कृत्यों को छोड़कर उन समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का, जो कि शासकीय अभिभाषक पर उक्त संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूपेण अधिरोपित हों, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पालन करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. 3366/573/21-B/C. G./2014. — With reference to the expression "Government Pleader" contained in sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908), the State Government is pleased to appoint Shri Jugal Kishore Tikamchand Gilda, Advocate General, Bilaspur to perform in the High Court of Chhattisgarh all or any of the functions expressly imposed by the said Code on the "Government Pleader" except the functions specified in rule 6, Order XXXIII and rule 4, Order XXVII First Schedule thereof, with effect from the date he assumes charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.